



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

VINOD KUMAR
STAMP-VENDER
LICENCE NO -110
E-STAMPINGUP14657904
TAHSII -SAIFAI ETAWAH

Certificate No. : IN-UP91380150590502U
 Certificate Issued Date : 27-Dec-2022 02:31 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14657904/ SAIFAI/ UP-EWH
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1465790476174694605813U
 Purchased by : ARADHYA CHAIRETABIL TRUST
 Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : SHIVANI WO NAVNEET KUMAR
 Second Party : ARADHYA CHAIRETABIL TRUST
 Stamp Duty Paid By : ARADHYA CHAIRETABIL TRUST
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,100
 (One Thousand One Hundred only)



Please write or type below this line



शिवानी



JD 0030929321

Statutory Alert

The authenticity of the Stamp certificate should be verified at www.ahicstamp.com or using e-Stamp Mobile App of Mca. Holdings Pvt. Ltd. for the details of this certificate and as available on the website. Mobile App users if they are unable to check the legitimacy on the users of the certificate in case of any discrepancy please inform the competent authority.

आराध्या चैरेटेविल ट्रस्ट

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 04.06.2016 को श्रीमती शिवानी पत्नी श्री नवनीत कुमार निवासी सैफई इटावा द्वारा निष्पादित किया गया है।

1. ट्रस्ट का नाम - आराध्या चैरेटेविल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता - पुराना अस्पताल रोड सैफई इटावा।
3. ट्रस्ट का कोई क्षेत्र - सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।
4. ट्रस्ट में लगाया गया धन - रू0 11000 /--रू0 (ग्यारह हजार रूपये मात्र)
धनराशि श्रीमती शिवानी पत्नी श्री नवनीत कुमार निवासी सैफई इटावा द्वारा ट्रस्ट के लिये समर्पित की गई है।
5. मुख्यट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तथ्यों पर आधारित है -
ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है। ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है। ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा।
इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वासपूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।
उपरोक्त अधिनियम व तथ्यों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे -
 1. श्रीमती शिवानी पत्नी श्री नवनीत कुमार निवासी सैफई इटावा।
(मुख्यट्रस्टी / चैयरमेन)
 2. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भिखारी लाल निवासी सैफई इटावा
(ट्रस्टीसेक्रेटरी)
 3. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री कलेक्टर सिंह निवासी ग्राम उवाली पो0 उरथान
जिला मैनपुरी।
(ट्रस्टी / कोषाध्यक्ष)
6. ट्रस्ट के उद्देश्य -
 - युवक युवकियों के सर्वांगीण विकास हेतु उच्च तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करना।

शिवानी



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

- समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना एवं उनकी सहायता करना।
- मानव कल्याण हेतु जनहित के कार्य करना।
- जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा शिक्षा के प्रचार-प्रसार करना तथा राज्य स्तरीय विद्यालयों, माध्यमिक शिक्षा संस्थानों, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा संस्थानों, उच्च शिक्षा संस्थानों, डिग्री कालेजों, आई0टी0आई0 संस्थानों, इंजीनियरिंग-तकनीकी एवं कृषि शिक्षा संस्थानों, कम्प्यूटर शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, नर्सिंग शिक्षा संस्थानों, मेडीकल व पैरा मेडीकल कालेजों की स्थापना आधुनिक शिक्षा पद्धति से करना एवं उनका प्रबन्धन एवं संचालन करना।
- समय-समय पर अन्य समाजसेवी जनहित कारी कार्य करना।
- ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं अथवा निजी व्यक्तियों, जन प्रतिनिधियों से अनुदान, दान अथवा ऋण प्राप्त करना।
- निर्धन, अनाथ एवं निर्बल वर्ग नागरिकों, बृद्धजनों, विधवा, अनाथ महिलाओं, निराश्रित अनाथ बच्चों, अपंग लोगों के कल्याण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, संगठनों के वित्तीय सहयोग, अनुदान, ऋण से चलायी जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना।
- यह ट्रस्ट चैरिटेबिल संस्था के रूप में होगा एवं अपने उद्देश्यों का क्रियान्वयन पूर्णतः कल्याणकारी कार्यों में करेगा।


7. नये ट्रस्टी की नियुक्ति -

कोई भी भारतीय नागरिक ट्रस्ट द्वारा निर्धारित फीस जमा करने के पश्चात ट्रस्ट का सदस्य बनने के लिये आवेदन कर सकता है। उसके आवेदन के प्रार्थना पत्र पर ट्रस्ट मण्डली द्वारा विचार किया जायेगा। ट्रस्ट मण्डली आवेदनकर्ता के प्रार्थना पत्र पर विचारोपरान्त अपना फैसला देगी ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम फैसला होगा। अगर कोई नया ट्रस्टी ट्रस्ट मण्डल द्वारा नियुक्त किया जाता है तो उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।

— शिषान —



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page, located below the seal.

8. सदस्यता की समाप्ति—

- मृत्यु हो जाने पर।
- पागल या दिवालिया हो जाने पर।
- संस्था के प्रति विपरीत कार्य करने पर।
- न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
- अविश्वास प्रस्ताव पारित या त्याग पत्र स्वीकृत होने पर।
- नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
- लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
- अनुशासन हीनता के कारण।
- ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों की सदस्यता केवल स्वतः त्याग-पत्र या मृत्यु पर ही समाप्त होगी।

निष्काशित ट्रस्टी को अपना पक्ष ट्रस्ट मण्डली के सामने रखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जायेगा। ट्रस्ट मण्डली का जो फैसला होगा वह अन्तिम फैसला समझा जायेगा।

9. ट्रस्ट में जन-सामान्य, जन प्रतिनिधियों एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन, दान एवं आय की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खातों में किसी भी बैंक में जमा की जायेगी, जो जनहित तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी। उक्त धनराशि का लेन-देन केवल मुख्य ट्रस्टी (चेयरमेन) के हस्ताक्षर से किया जायेगा। अगर मुख्य ट्रस्टी (चेयरमेन) समझे तो वह किसी और व्यक्ति को बैंक खाता संचालन करने का अधिकार प्रदान कर सकता है अथवा वापस ले सकता है।
10. यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा इस ट्रस्ट के अन्तर्गत चलने वाली कोई भी संस्था समाप्त होती है तो ऐसी स्थिति में संस्था की चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः निहित हो जायेगी।
11. यदि कोई समान उद्देश्य वाली समिति या संस्था या ट्रस्ट अपनी चल व अचल सम्पत्ति, अपना स्कूल व कालेज किन्हीं कारणोंवश इस ट्रस्ट को प्रदान करने का निर्णय लेते हैं या प्रस्तावित करते हैं जो उसकी स्वीकार किया जा

शिवाजी





सकेगा एवं उसे अपने नियन्त्रण में लिया जा सकेगा, जिसकी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति इस ट्रस्ट के स्वामित्व और कब्जा में हमेशा के लिये होगी।

12. यदि किसी भी प्रकार का विवाद ट्रस्ट के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है तो ट्रस्टी मण्डल के समक्ष रखा जायेगा और उपस्थित ट्रस्टियों की सर्वसम्मति या बहुमत से ही निर्णय होगा परन्तु समान मत होने पर चैयरमेन का मत निर्णायक होगा।

13. ट्रस्ट प्रमुख-

ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी श्रीमती शिवानी होगी, वे ही मुख्य ट्रस्टी जीवन पर्यन्त रहेगी। मुख्य ट्रस्टी श्रीमती शिवानी के स्वर्गवासी हो जाने के उपरान्त उनका उत्तराधिकारी मुख्य ट्रस्टी होगा।

14. ट्रस्टियों की संख्या-

ट्रस्टियों की संख्या न्यूनतम 2 व अधिकतम 5 ही रहेगी वर्तमान में निम्न पदाधिकारी व सदस्य रहेंगे-

(अ) श्रीमती शिवानी पत्नी श्री नवनीत कुमार निवासी सैफई इटावा।

(मुख्य ट्रस्टी/चैयरमेन)

(ब) श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भिखारी लाल निवासी सैफई इटावा।

(ट्रस्टी/सेक्रेटरी)

(स) श्री राजेश कुमार पुत्र श्री कलेक्टर सिंह निवासी ग्राम उवाली पो0

उरथान जिला मैनपुरी।

(ट्रस्टी/कोषाध्यक्ष)

15- ट्रस्ट मण्डल की बैठके-

ट्रस्ट की सामान्य बैठके 3 माह में व विशेष बैठक कभी भी किसी भी समय हो सकती है।


16- सूचना अवधि-

ट्रस्ट की सामान्य बैठक की सूचना 14 दिन पहले दी जायेगी। अगर सभी ट्रस्टी तैयार हो तो सूचना अवधि को एक मत से घटा भी सकते हैं।

17- गण पूर्ति-

शिवानी





बैठक में समस्त ट्रस्टियों के 2/3 ट्रस्टियों का होना अनिवार्य है एवं सभी निर्णय 2/3 बहुमत से ही पारित होंगे।

18- रिक्त स्थानों की पूर्ति—

ट्रस्ट की आकस्मिक या किसी भी प्रकार की रिक्त स्थानों की पूर्ति ट्रस्ट के चेयरमेन (मुख्य ट्रस्टी) द्वारा हुये उसी ट्रस्टी के उत्तराधिकारी/अन्य व्यक्ति को नियुक्त करके पूर्ण कर ली जायेगी।

19- ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य—

(क) चेयरमेन (मुख्य ट्रस्टी) के अधिकार व कर्तव्य—

- ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्रचार करना, मीटिंग बुलाना तथा उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना एवं मीटिंग की कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।
- ट्रस्ट के प्रत्येक सभी कार्यों, बैठकों में एवं प्रमुख स्थानों पर अध्यक्षता करना।
- ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना उसका प्रचार प्रसार करना।
- ट्रस्ट के हित में दान, अनुदान, चन्दा प्राप्त करना तथा उसको संस्था के कोष में जमा करना व उनकी रसीद देना एवं ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व देखभाल करना।
- ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय-समय पर निरीक्षण करना।
- ट्रस्ट के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋणों, अनुदान-पत्रों, चैको, ड्राफ्ट, बन्धक विलेखों एवं बिल वाउचर पर हस्ताक्षर करना।
- ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी संस्थाओं की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण रखना। आवश्यकता पडने पर क्रय व विक्रय करना।
- इस ट्रस्ट, के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का कार्य ठीक न चलने पर प्रबन्ध समिति की तत्काल बिना कारण बताये भंग करके नई प्रबन्ध समिति मनोनीत करना।

शिवाजी



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



- इस ट्रस्ट के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों व सदस्यों को नियुक्त करना तथा उनका त्यागपत्र स्वीकार करना।
 - ट्रस्ट की समस्त प्रकार की बैठकों का आयोजन, निर्धारण, स्थागन निरस्तीकरण करना।
 - ट्रस्ट के सभी प्रकार के खातों का व ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के सभी प्रकार के खातों का संचालन ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी द्वारा होगा। अगर मुख्य ट्रस्टी चाहे तो वह अन्य किसी व्यक्ति को इस कार्य के लिये अधिकृत कर सकते है।
- (ख) ट्रस्ट के सेक्रेटरी के अधिकार एवं कर्तव्य –
 ट्रस्ट के चेयरमेन के निर्देशों के अनुसार कार्य करना एवं ट्रस्ट की उन्नति के लिए परामर्श देना। मुख्यट्रस्टी के अनुपस्थिति में सेक्रेटरी मुख्य ट्रस्टी का कार्य भार देखेगे।
- (ग) ट्रस्ट के ट्रेजगार के अधिकार एवं कर्तव्य—
 ट्रस्ट के चेयरमेन एवं सेक्रेटरी/मैनेजर को वित्तीय प्राप्ति के सम्बन्ध में परामर्श देना एवं उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करना।

20- ट्रस्ट के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया—

ट्रस्ट के नियमों व विनियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्तन ट्रस्टी मण्डल के 2/3 बहुमत से स्वीकार होंगे।

21. ट्रस्ट का कोष व लेखा व्यवस्था—

ट्रस्ट का कोष ट्रस्ट के नाम से मान्यता प्राप्त बैंक में रखा जायेगा जिसका संचालन ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी करेगी। अगर मुख्यट्रस्टी समझे तो वह किसी और व्यक्ति को बैंक खाता संचालन करने का अधिकार प्रदान कर सकती है अथवा वापस ले सकती है।


22. ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा परीक्षण—

ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा परीक्षण ट्रस्ट के चेयरमेन (मुख्य ट्रस्ट) द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

23. ट्रस्ट के फण्ड का निवेश—

शिवाजी





ट्रस्ट मण्डल को यह अधिकार होगा कि वह आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अन्तर्गत यदि कोई सम्पत्ति का निवेश करना चाहता है तो कर सकता है।

24. भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के प्राविधान उक्त ट्रस्ट पर प्रभावी रहेगे।
25. आयकर अधिनियम के प्राविधानों के तहत उक्त ट्रस्ट सभी सुविधाएँ, छूट लाभ प्राप्त करेगा। जिसके लिये यदि उसे ट्रस्ट डीड में कोई संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो यह संशोधन ट्रस्ट डीड में किया जायेगा जो पूर्व से ही प्रभावी माना जायेगा।
26. ट्रस्ट अपरिवर्तन शील (स्थिर) होगा।
27. ट्रस्ट के द्वारा एवं उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व—
ट्रस्ट के द्वारा एवं ट्रस्ट के सभी अदालती कार्य की देखरेख चेयरमेन (मुख्य ट्रस्ट) अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति से करवाया जायेगा।
28. ट्रस्ट के अभिलेख—
ट्रस्ट के सभी अभिलेख, ऐजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक आदि का रख-रखाव ट्रस्ट के चेयरमेन (मुख्य ट्रस्टी) महोदय करेंगे।
29. ट्रस्ट के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही—
यदि किसी भी दशा में किन्ही परिस्थितियों में ट्रस्ट का संचालन आदि सम्भव न हो तो सर्वप्रथम जो लेनदारी व देनदारी है उस लेनदारी से देनदारी का भूगतान किया जायेगा तथा जो सम्पत्ति अवशेष कर जाती है तो उस सम्पत्ति का समापन आयकर अधिनियम के प्राविधानों/ट्रस्ट अधिनियम के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा।
30. विद्यालय की पंजीकृत ट्रस्ट का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
31. प्रबंधन समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
32. विद्यालय कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

शिवाजी



आवेदन सं०: 202200837002392

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 4

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 1100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 110 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 170

श्रीमती आराध्या चैरेटिवल ट्रस्ट द्वारा
शिवानी अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पत्नी श्री नवनीत कुमार
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: निवासी सैफई इटावा



श्रीमती, आराध्या चैरेटिवल ट्रस्ट द्वारा

शिवानी अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि


ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27/12/2022 एवं
03:49:27 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शैलेन्द्र कुमार समधिया प्रभारी
उप निबंधक : सैफई
इटावा

27/12/2022

हरीश कुमार सैफई
निबंधक लिपिक
27/12/2022



33. ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नहीं दिल्ली से प्राप्त है तो उक्त परीक्षा परिषदों में संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार के अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
34. ट्रस्ट के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारी को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी की भाँति अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा भत्ते नहीं दिये जायेगे।
35. कर्मचारी की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें साहयता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों की भाँति अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।
36. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।
37. विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
38. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमान शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
39. विद्यालय के पाठ्य क्रम में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी विषय अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।
40. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। उक्त संशोधन के अतिरिक्त ट्रस्ट की अन्य शर्तें विधिवत प्रभावी रहेंगी।

उपरोक्त ट्रस्ट डीड मुख्य ट्रस्टी के बिना किसी जबर दबाव सोच समझकर

शिवाजी



आवेदन सं०: 202200837002392

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 4

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
न्यासी: 1

श्रीमती आराध्या चैरेटिवल ट्रस्ट के द्वारा शिवानी, पत्नी श्री नवनीत
कुमार

निवासी: निवासी सैफई इटावा

व्यवसाय: गृहिणी

शिवानी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1


श्री राहुल कुमार, पुत्र श्री विनोद कुमार

निवासी: निवासी कंझरा तह0 करहल मैनपुरी

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता: 2

राहुल




श्री सुरेश चन्द्र, पुत्र श्री सुघर सिंह

निवासी: नगला नृपति मौजा उरथान तह करहल मैनपुरी

व्यवसाय: कृषि

सुरेश चन्द्र



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शैलेन्द्र कुमार समथिया प्रभारी

उप निबंधक: सैफई

इटावा

27/12/2022

हरीश कुमार सैफई

निबंधक लिपिक इटावा

27/12/2022

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए
है।

टिप्पणी:

प्रिंट करें

स्वेच्छा पूर्वक लिखिकर हस्ताक्षर की गयी व विन्दु 30 से 40 तक नवीन शिक्षा नीति के नियमानुसार जोड़े जा रहे हैं

शिवानी



गवाह:-

1. राहुल कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार
निवासी कंझरा तहसील करहल जिला मैनपुरी पिन नं० 9720735023
2. सुरेश चन्द्र पुत्र श्री सुधर सिंह *Paul*
निवासी नगला नृपति मौजा उर्थान तहसील करहल जिला
मैनपुरी। पिन नं० 9450643630



शिवानी

आवेदन सं०: 202200837002392

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 2 के पृष्ठ 379 से 396 तक क्रमांक 4 पर दिनांक 27/12/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शैलेन्द्र कुमार समधिया प्रभारी

उप निबंधक : सैफई

इटावा

27/12/2022

